न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 148/2022

1 सुभाषचन्द्र पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. सुशील कुमार शर्मा पुत्र बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रतीराम जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनीता पुत्री बजरंगलाल जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. रजीराम पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53, 49 बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं विनिमय

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ---**वादीगण**
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता --**प्रतिवादी सं. 1 ता 3**
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --**प्रतिवादी सं. 4**

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 27/04/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के अनुसार सही अंकित किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 16 एसपीडी के खाता सं. 13 के प.नं. 71/374 के किला नं. 1/2, 2 ता 5, 9, 10/2, 11/2, 12, 20/2, प.नं. 71/376 के किला नं. 2/1, 3/2, 4/1, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 8/1 कुल तादादी 3.858 हैक. कमाण्ड म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रतिवादी सं. 3 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 13 के प.नं. 71/374 के किला नं. 13, 16 ता 19, 22 ता 25, प.नं. 71/375 के किला नं. 1/2, 2 कुल तादादी 2.757 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा श्री रतीराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसों को विरासतन प्राप्त होकर प्रतिवादी सं. 1 को जरिये विरासतन / दस्तवरदारी के प्राप्त हुई इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया जिसमे

27.04.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादी सं. 2 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का हक त्याग वादीगण के हक मे मौखिक रूप से कर दिया तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 3 ने कृषि भूमि का काश्त की सहुलियत के हिसाब से भूमि का एकीकरण करने के लिए आपसी विनिमय कर लिया तत्पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुईः-

क. वादी सं. 1 सुभाषचन्द्र को घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमिः-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एसपीडी	71/374	1/2, 2, 3, 9, 10/2, 11/2 12, 20/2/.125	1.821 हैक.
	71/376	2/1/.095	0.095 हैक.
		कुल	1.916 हैक.

ख. वादी सं. 2 सुशील कुमार शर्मा को घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमिः-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एसपीडी	71/376	2/1/.095, 3/2, 4/1, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 8/1	1.334 हैक.
	71/375	1/2, 2	0.480 हैक.
	71/374	20/2/.102	0.102 हैक.
		कुल	1.916 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 3 रजीराम को तबादला मे प्राप्त भूमिः-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एसपीडी	71/374	4, 5	0.506 हैक.

वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा क से ग मे वर्णितानुसार कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 का कब्जा घरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादीगण ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 3 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है । इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा क से ग मे वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा, खाता विभाजन एवं विनिमय करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है ।

प्रतिवादी सं. 4 भू. धारक है इसलिए उनहे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है ।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है ।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 5 क-ख मे वर्णितानुसार कृषि भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे। मुताबिक अनुतोष "क" वादीगण की कृषि भूमि का आपसी खाता तकसीम एवं विनिमय किया जावे।

27.04.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर. आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर. आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति मे पिता के जीवनकाल मे ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 3 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित एवं कृषि भूमि का आपसी विनिमय किया जाता है :-

27.04.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

क. वादी सं. 1 सुभाषचन्द्र :-

चक	प.नं.	किला		तादादी
16 एसपीडी	71/374	1/2, 2, 3, 9, 10/2, 11/2		
		12, 20/2/.125(उत्तर दिशा)		1.821 हैक.
	71/376	2/1/.095(पूर्व दिशा)		0.095 हैक.
			कुल	1.916 हैक.

ख. वादी सं. 2 सुशील कुमार :-

चक	प.नं.	किला		तादादी
16 एसपीडी	71/376	2/1/.095 (पश्चिमी दिशा),		
		3/2, 4/1, 5/3, 5/4,		
		6/1, 6/2, 7, 8/1		1.334 हैक.
	71/375	1/2, 2		0.480 हैक.
	71/374	20/2/.102(दक्षिण दिशा)		0.102 हैक.
			कुल	1.916 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 3 रजीराम :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एसपीडी	71/374	4, 5	0.506 हैक.

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि कोई वाद विवाद एवं स्थगन न हो तो अमल दरामद करे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

27.04.2022

(रणजीत सहारण) कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 148/2022

1. सुभाषचन्द्र पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुशील कुमार शर्मा पुत्र बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रतीराम जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनीता पुत्री बजरंगलाल जाति ब्राहमण साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. रजीराम पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

-- प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 27/04/2022

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता एवं राज पेरोकार इस वाद मे आज दिनांक को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित एवं कृषि भूमि का आपसी विनिमय किया जाता है :-

क. वादी सं. 1 सुभाषचन्द्र :-

चक	प.नं.	किला		तादादी
16 एसपीडी	71/374	1/2, 2, 3, 9, 10/2, 11/2		
		12, 20/2/.125(उत्तर दिशा)		1.821 हैक.
	71/376	2/1/.095(पूर्व दिशा)		0.095 हैक.
			कुल	1.916 हैक.

ख. वादी सं. 2 सुशील कुमार :-

चक	प.नं.	किला		तादादी
16 एसपीडी	71/376	2/1/.095(पश्चिमी दिशा),		
		3/2, 4/1, 5/3, 5/4,		
		6/1, 6/2, 7, 8/1		1.334 हैक.
	71/375	1/2, 2		0.480 हैक.
	71/374	20/2/.102(दक्षिण दिशा)		0.102 हैक.
			कुल	1.916 हैक.

27.04.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ग. प्रतिवादी सं. 3 रजीराम :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एसपीडी	71/374	4, 5	0.506 हैक.

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन एवं रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक २७।०५।२०२२ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.04.2022

(रणजीत कुमार) सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम् उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा